

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक: प.11(24)वित्त/आब/2016

दिनांक : 02.10.2021


आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित स्थानों पर राज्य हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्रीमती दीप्ति मिश्र	सहायक आबकारी अधिकारी, आरएसजीएसएम, झोटवाड़ा, जयपुर	जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन), जयपुर	पदोन्नति उपरान्त रिक्त पद पर
2.	श्री हरीश रोलन	सहायक आबकारी अधिकारी, दौसा	जिला आबकारी अधिकारी, इंगरपुर	पदोन्नति उपरान्त रिक्त पद पर
3.	श्री सुदर्शनसिंह भाटी	सहायक आबकारी अधिकारी, सिरौही	जिला आबकारी अधिकारी, करौली	श्री जगदीश प्रसाद रंगा के दिनांक 31.10.2021 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर (पदोन्नति पर)
4.	श्री तरुण अरोडा	आबकारी निरीक्षक, अजमेर (उत्तर)	सहायक आबकारी अधिकारी, नागौर	पदोन्नति उपरान्त रिक्त पद पर
5.	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता	आबकारी निरीक्षक, बांदीकुई जिला दौसा	सहायक आबकारी अधिकारी, दौसा	पदोन्नति उपरान्त श्री हरीश रोलन के स्थान पर
6.	श्रीमती श्वेता यादव	आबकारी निरीक्षक, एसडीआरआई, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	सहायक आबकारी अधिकारी, आरएसजीएसएम, झोटवाड़ा, जयपुर	पदोन्नति उपरान्त श्रीमती दीप्ति मिश्र के स्थान पर

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार श्री सुदर्शन सिंह भाटी, सहायक आबकारी अधिकारी की जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति तिथि 01.11.2021 होने के कारण श्री भाटी वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति तिथि को नवीन पद पर कार्यग्रहण करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
7. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. संबंधित जिला कलक्टर्स।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
11. संबंधित अधिकारीगण।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव